कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में महत्वपूर्ण/प्रमुख घटनाएं

1. मार्च, 2019 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(i) माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को दिनांक 25.03.2019 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 407/002/2019-एवीडी-IV (एलपी)(भाग-।।) के माध्यम से दिनांक 23.03.2019 (पूर्वाह्न) से अध्यक्ष, लोकपाल के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित आठ (08) व्यक्तियों को दिनांक 27.03.2019 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 407/002/2019-एवीडी-IV (एलपी)(भाग-।।) के माध्यम से दिनांक 27.03.2019 (पूर्वाह्न) से लोकपाल के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया :-

i न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबा साहेब भोंसले, न्यायिक सदस्य, लोकपाल
ii न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी, न्यायिक सदस्य, लोकपाल
iii न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायिक सदस्य, लोकपाल
iv श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य, लोकपाल
v डॉ. इन्द्रजीत प्रसाद गौतम, सदस्य, लोकपाल
vi न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी, न्यायिक सदस्य, लोकपाल
vii न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार जैन, सदस्य, लोकपाल
viii श्रीमती अर्चना रामसुन्दरम, सदस्य, लोकपाल

(ii) कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च माह में निम्नलिखित दो परीक्षाएं आयोजित की :-

क) 11.02.2019 से 11.03.2019 के बीच 52.20 लाख अभ्यर्थियों के लिए सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) और असम राइफल में राइफलमैन (जीडी) की भर्ती परीक्षा।

ख) 8,20,683 अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में एसआई और सीआईएसएफ में एएसआई के लिए (पेपर-।) 2018 परीक्षा।

(iii) कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च माह में निम्नलिखित दो परिणामों को घोषित किए:-

(क) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 के पेपर-। का परिणाम।

(ख) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2017 का अंतिम परिणाम।

(iv) मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 05 मामलों (05 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की पंद्रह (15) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की नौ (09) नियुक्तियों, समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के चार (04) प्रस्तावों, मंत्रियों के ओएसडी की नियुक्ति संबंधी दो (02) प्रस्तावों, कार्यकाल विस्तार संबंधी दस (10) प्रस्तावों और पुन: पदनामकरण संबंधी एक (01) प्रस्ताव का अनुमोदन मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, चार (04) अधिकारियों को सीवीओ के रूप में नियुक्त किया गया।

(v) पीईएसबी, डीओपीटी ने 09 (नौ) पदों {सीएमडी के लिए 04(चार) और 05 (पांच) निदेशक पद} के लिए विज्ञापन जारी किए।

(vi) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड (सीसीएससीएसबी) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विनय मार्ग में दिनांक 03.03.2019 को हाफ मैराथन का आयोजन किया। इस समारोह में लगभग 1000 व्यक्तियों ने भागीदारी की।

(vii) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेलकूद बोर्ड (सीसीएससीएसबी) ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय सिविल सेवा कैरम टूर्नामेंट 2018-19 का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमों ने भागीदारी की जिनमें 450 प्रतिभागी शामिल हुए।

(viii) 25.03.2019 से शुरू हुए स्तर 'ख' प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएसएस-सीटीपी के तहत 173 अभ्यर्थियों को नामित किया गया।

(ix) एफआर-56 के तहत कुल 463 अधिकारियों (277 एएसओ और 186 एसओ) की समीक्षा की गई।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गएः-

क) दिनांक 15.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/5/2017-स्था (वेतन-I) द्वारा सातवें सीपीसी के परिदृश्य में नई उच्च योग्यताएं अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन।

ख) दिनांक 11.03.2019 के का.ज्ञा.सं. 28020/3/2018-स्था.(ग) द्वारा केंद्रीय सेवाओं में परिवीक्षा/स्थायीकरण के संबंध में समेकित परिपत्र।

क. अंतर-मंत्रालीय परामर्श की अवधि बढ़ जाने के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले :

ख. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :-

क्र. सं.	अनुपालन के लिए लंबित सचिवों की समिति के निर्णयों की संख्या	सचिवों की समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	अभ्युक्तियां
I	सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015	कोई समय सीमा नहीं	यह विधेयक वर्तमान में राज्य सभा में लंबित है।
II	झूठा दावा अधिनियम के विधायन का प्रारूपण	कोई समय सीमा नहीं	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 14.5.2018 को इस स्तर पर अभी इस विषय में आगे अनुसरण न करने का निर्णय लिया है।

ग. तीन माह से अधिक समय से अभियोजन के लिए मंजूरी दिए जाने वाले लंबित मामलों की संख्या: 05

घ. ऐसे मामलों के ब्यौरे जिनमें कार्य संव्यवहार नियम अथवा सरकार की स्थापित नीति से हट कर कोई कार्रवाई की गई हो: शून्य

ड. ई-शासन के कार्यान्वयन की स्थिति:

मार्च, 2019 में सृजित की गई कुल फाइलों की संख्या	
भौतिक फाइलें : 404	ई-फाइलें : 20

च. लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या: 1044	माह के अंत में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या: 1485

छ. मंत्रालय/विभाग द्वारा विकास और शासन में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के प्रयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के संबंध में जानकारी:-